न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–1, आजमगढ़

सत्र वाद संख्या–336/2023
राज्य बनाम कल्पू आदि
अपराध संख्या–127/2004
धारा–147, 148, 149, 302, 394 भा०दं०सं० व
7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट
थाना–देवगाँव, आजमगढ़

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र 8 ख अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं०
दिनाँक–04.11.2024

प्रार्थना पत्र 8 ख द्वारा अभियुक्तगण कल्पू उर्फ कल्पनाथ पुत्र तुलसी राजभर व रामसरन पुत्र दरबारी अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। मात्र पुरानी रंजिश के कारण उपरोक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। उपरोक्त मुकदमा में कमिटल के समय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 207 द०प्र०सं० के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और कमिटल के समय अभियुक्तगण को पत्रावली पर उपलब्ध केवल आरोप पत्र व एफ०आई०आर० की प्रति दी गयी है। केस डायरी की प्रति न तो पत्रावली में थी और न ही आवेदकगण को दी गयी और न ही वर्तमान समय में पत्रावली में केस डायरी है। कथित घटना में दर्ज एफ०आई०आर० के अवलोकन से अभियुक्तगण को अन्य अभियुक्तों के साथ एक राय होकर देवलाल एवं रामबचन की हत्या किये जाने का अभिकथन किया गया है, जो पूर्णतया गलत व निराधार व सत्य से परे है। अभियुक्त सं०–1 कल्पू उर्फ कल्पनाथ कथित घटना के दिन दिनाँक 30.05.2004 को केन्द्रीय तार घर ईस्टर्न, जनपथ न्यू दिल्ली में वरिष्ठ तार पाल के पद पर कार्यरत थे और नियमित रूप से प्रातः 6 बजे से 2 बजे दिन तक ड्यूटी पर थे। अभियुक्त सं०–2 रामसरन कथित घटना के दिन दिनाँक 30.05.2004 को महानगर टेलीफोन निगम लि० नई दिल्ली में टेलीकाम मैकेनिक के पद पर कार्यरत थे और अपनी ड्यूटी पर थे। अभियुक्तगण को जब उक्त घटना के सम्बन्ध में पता चला तो अभियुक्त सं०–1 ने प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को प्रार्थना पत्र दिया तो प्रधानमंत्री महोदय ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को कमिश्नर आफ पुलिस दिल्ली को उचित कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दिया। कमिश्नर आफ पुलिस दिल्ली ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को आजमगढ़ की पुलिस को पत्र सं० –2859/एस.डब्लू.डी. (C–IV) दिनाँक 16.05.2006 को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया, किन्तु आजमगढ़ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया। विवेचक ने न तो मुकदमे के अभियुक्तों के सम्बन्ध में पता लगाया और न ही मुकदमे की सच्चाई का पता लगाया बल्कि सरसरी तौर पर कुर्की की कार्यवाही करके आरोप

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2024.11.04 15:09:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा वादी एवं उसके हितबद्ध साक्षियों को भी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि अभियुक्तगण घटना में सम्मिलित नहीं थे और दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं फिर भी झूठा साक्ष्य पुलिस के समक्ष दिये थे। अभियुक्तगण द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के आधार पर एवं पुलिस द्वारा की गयी दूषित विवेचना से प्रथम दृष्टया आवेदकगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्तगण को उन्मोचित करने की याचना की गयी।

प्रार्थना पत्र पर अभियोजन/वादी द्वारा आपत्ति दिनाँक 01.04.2024 को प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति को सहायक जिला शासकीय अधिवक्त (फौजदारी) द्वारा सबमिट किया गया है। आपत्ति में यह कथन किया गया प्रार्थना पत्र निराधार है और मात्र मुकदमा उपरोक्त को विलम्बित करने के आशय से विधिक राय मशविरा के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध सन् 2004 में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका थी। जानबूझकर अभियुक्तगण पुलिस को चकमा देकर फरार रहे और लम्बी अवधि तक फरार रहे। उपरोक्त प्रकरण में दिनाँक 30.09.2004 को अभियुक्तगण कल्पू, रामसरन और रामजन्म के विरूद्ध मफरूरी में प्राप्त आरोप पत्र को मूल पत्रावली से अलग कर सी०जे०एम० आजमगढ़ द्वारा शेष हाजिर अभियुक्तगण की पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। अभियक्तगण कल्पू, रामसरन व रामजन्म की पत्रावली सी०जे०एम० आजमगढ़ के यहाँ लम्बित रही और अभियुक्तगण के पकड़े जाने पर अभियुक्तगण को समस्त प्रपत्र उपलब्ध करा कर उनकी पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी, जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा है। मुकदमा उपरोक्त के सह अभियुक्तगण जो एक ही खानदान के लोग थे, के विरूद्ध सत्र परीक्षण सं०–303/2004 में दिनाँक 13.05.2008 को आजीवन कारावास की सजा का निर्णय पारित हुआ है। अभियुक्तगण उपरोक्त आपराधिक मानसिकता के लोग हैं तथा कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हैं और इसी कारण से जानबूझकर बिना कानून के भयभीत हुए फरार हो गये। अभियुक्तगण द्वारा फरार होकर स्वयं अपने अधिकारों का हनन किया गया है। ऐसे समाज विरोधी आचरण के आदी अभियुक्तगण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही आवश्यक है। अभियक्तगण को आपराधिक क्रिया कलाप में महारत हासिल है और अभियुक्तगण उपरोक्त अपराध कारित करने के पश्चात कुछ फर्जी कागजात तैयार कर, कराकर बेजा लाभ लेने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध डायरेक्ट एविडेंस है और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी आज भी मौजूद हैं तथा घटना में अभियुक्तगण अन्य सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर दिन दहाड़े दो लोगों की हत्या के दोषी हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० निरस्त करने की याचना की गयी।

पत्रावली का परिशीलन किया गया।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा घटना को साजिशन गलत होना कहा गया है। यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्त सं०–1 कल्पू उर्फ कल्पनाथ घटना के दिनाँक 30.05.2004 को केन्द्रीय तार घर ईस्टर्न, जनपथ न्यू दिल्ली में वरिष्ठ तार पाल के पद पर कार्यरत था और ड्यूटी पर था। इसी प्रकार अभियुक्त सं०–2 रामसरन घटना के दिनाँक 30.05.2004 को महानगर टेलीफोन निगम लि० नई दिल्ली में टेलीकाम मैकेनिक के पद पर कार्यरत था और अपनी ड्यूटी पर था। अभियुक्त द्वारा विभागीय प्रमाण पत्र, जो उनकी दिल्ली में उपस्थिति विषयक है, को प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन का कथन है कि अभियुक्तगण जानबूझकर फरार रहे हैं। अन्य अभियुक्तगण को दिनाँक 13.05.2008 को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अभियुक्त कल्पू उर्फ कल्पनाथ, रामजन्मव व रामसरन के विरूद्ध मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित हुआ। अभियुक्तगण आपराधिक मानसिकता के हैं। घटना में उनके विरूद्ध प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षी हैं और अभियुक्तगण के साथ मिल कर दिन दहाड़े दो लोगों को ताबड़ तोड़ फायरिंग कर हत्या की गयी है। प्रस्तुत मामले में विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा अपराध सं०–127/2004, धारा–147, 148, 149, 302, 394 भा०दं०सं० व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऐक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण कल्पू उर्फ कल्पनाथ एवं रामसरन की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 8 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उन्मोचन प्रार्थना पत्र 8 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय से निर्धारित समय अवधि में निस्तारित करने का आदेश प्राप्त है। अतः सभी अभियुक्तगण दिनाँक 18.11.2024 को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों तथा उनके विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली दिनाँक 18.11.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–1, आजमगढ़